

प्रपत्र VI

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम- 30/2013 की धारा 11 (1) के अधीन)

संख्या- 88 (ए०)/भू०अ०, प० सिंहभूम, चाईबासा, दिनांक :- 24.04.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है ग्राम- कुदाहातु, थाना- कोल्हान, थाना नं०- 278, अंचल- कुमारडुंगी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना तांतनगर से मझगॉव भाया कुमारडुंगी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस०आई०ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा-निम्न है- "सड़क निर्माण के दौरान ज्यादातर लोगों की जमीन का अंश भाग अधिग्रहित किया जायेगा। परियोजना हेतु भू-अर्जन किये जाने की सहमति दी जाती है"। भू-अर्जन के कारण कुल घून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- कुदाहातु, थाना- कोल्हान, थाना नं०- 278, अंचल- कुमारडुंगी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवष 4.185 एकड़ है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		9	रैयत	दोन	0.065	कौरा हो पिता- रूपा हो, सुना हो पिता- डौना हो	सीमा	10	9 अंश	सड़क
2		10	रैयत	दोन	0.02	कौरा हो पिता- रूपा हो, सुना हो पिता- डौना हो	9	12	10 अंश	सड़क
3		12	रैयत	दोन	0.08	कौरा हो पिता- रूपा हो, सुना हो पिता- डौना हो	10	13	12 अंश	सड़क
4		13	रैयत	मो०आड	0.03	कौरा हो पिता- रूपा हो, सुना हो पिता- डौना हो	12	14	13 अंश	सड़क
5	58	14	रैयत	गोडा	0.075	भोगेया हो	13	15	14 अंश	सड़क
6	58	15	रैयत	मो०आड	0.04	भोगेया हो	14	16	15 अंश	सड़क
7	58	16	रैयत	दोन	0.05	भोगेया हो	15	17	16 अंश	सड़क
8	58	17	रैयत	मो०आड	0.01	भोगेया हो	16	18	17 अंश	सड़क
9	58	18	रैयत	दोन	0.01	भोगेया हो	17	19	18 अंश	सड़क
10	58	19	रैयत	पु०परती	0.005	भोगेया हो	18	20	19 अंश	सड़क
11	58	20	रैयत	दोन	0.01	भोगेया हो	19	21	20 अंश	सड़क
12	58	21	रैयत	मो०आड	0.01	बिना हो पिता- भोजो हो	20	22	21 अंश	सड़क
13		22	रैयत	दोन	0.06	अज्ञात।	21	23	22 अंश	सड़क
14	131	23	रैयत	दोन	0.055	भागेया हो, बिना हो पिता- भोजो हो, प्रधान हो पिता- मधुवा हो	22	28	23 अंश	सड़क

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	67	200	रैयत	पु०परती	0.09	भागेया हो पिता- पराई हो	200 अंष	सड़क	201	सीमा
16	67	201	रैयत	पु०परती	0.04	छोटा अकुड़ा हो पिता- विसुई हो	201 अंष	सड़क	202	201
17	67	202	रैयत	पु०परती	0.14	रासिका हो पिता- बोजो हो	202 अंष	सड़क	203	201
18	32	203	रैयत	दोन	0.28	अंकुष हो, माना हो पिता- छोटा तुरी हो, पराई हो पिता- मुदुरा हो	203 अंष	सड़क	204	202
19	67	204	रैयत	पु०परती	0.005	रासिका हो श्रीधर हो पिता- बाजो हो भागेया मुन्डा	204 अंष	सड़क	205	203
20	73	205	रैयत	दोन	0.05	षिबु हो, लादू हो पिता- संकुरा हो	205 अंष	सड़क	249	204
21	75	249	रैयत	गोडा	0.14	सेकाई हो पिता- गलताई लादु हो, कुंजा हो	249 अंष	सड़क	248	205
22	69	248	रैयत	दोन	0.03	वादुवा हो पिता- मुरगी हो	248 अंष	सड़क	247	249
23	69	247	रैयत	दोन	0.015	रासिका हो पिता- श्रीराम हो	247 अंष	सड़क	246	248
24	69	246	रैयत	पु०परती	0.055 वादुवा हो पिता- मुरगी हो	246 अंष	सड़क	245	247
25	69	245	रैयत	दोन	0.005	समाय हो	245 अंष	सड़क	244	246
26		244	रैयत	गोडा	0.005	समाय हो	244 अंष	सड़क	241	245
27	58	243	रैयत	गोडा	0.145	भागेया हो, बिना हो पिता- भोजो हो, प्रदान हो पिता- मुधुवा हो	243 अंष	सड़क	सड़क	248
28		235	रैयत		0.10	अज्ञात ।	234	243	सड़क	235 अंष
29	67	234	रैयत	गोडा	0.05	रासिका हो पिता- श्रीराम हो	231	235	सड़क	234 अंष
30	144	231	रैयत	गोडा	0.04	रामाय हो पिता- भागेया हो	230	234	सड़क	231 अंष
31	122	230	रैयत	गोडा	0.14	बुधराम हो पिता- बिमा हो	124	231	सड़क	230 अंष
32		105	रैयत		0.08	अज्ञात ।	107	124	सड़क	105 अंष
33	139	107	रैयत	गोडा	0.13	रासिका हो पिता- श्रीराम हो	124	105	सड़क	107 अंष
34	154	124	रैयत	दोन	0.345	षकुरा गोप, रामचन्द्र गोप पिता- धनदुवाड़ी गोप	105	130	सड़क	124 अंष

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	67	251	रैयत	गोडा	0.14	रासिका हो पिता- बाजो हो	सड़क	251 अंश	252	सीमा
36	67	252	रैयत	गोडा	0.085	छोटा अंकुरा हो पिता- विमुई हो	सड़क	252 अंश	253	251
37	67	253	रैयत	गोडा	0.15	रासिका हो पिता- बाजो हो	सड़क	253 अंश	255	252
38	32	255	रैयत	दोन	0.10	अंकुष हो, माना हो पिता- छोटा तुरी हो, पराई हो पिता- मुदुरा हो	सड़क	255 अंश	256	253
39	77	256	रैयत	दोन	0.13	अंकुरा हो, माना हे पिता- छोटा तुरी हो, पराई हो पिता- मुदुय	सड़क	256 अंश	259	259
40	81	259	रैयत	दोन	0.12	अंकुरा हो, माना हो पिता- छोटा तुरी हो	सड़क	259 अंश	260	256
41	77	260	रैयत	दोन	0.04	अंकुष हो, माना हो पिता- छोटा तुरी हो, पराई हो पिता- मुदुरा हो	सड़क	260 अंश	261	259
42	45	261	रैयत	गोडा	0.17	बड़ाये हो पिता- संकूरा हो, मुदुरा हो, रामाय हो, मसर्गि हो, अंकुरा हो, बिमा हो पिता- माने हो	सड़क	261 अंश	286	260
43	75	286	रैयत	गोडा	0.13	माडु हो पिता- कुजा हो	सड़क	286 अंश	713	261
44	58	713	रैयत	दोन	0.115	मागेया हो, बिना हो पिता- भोजो हो, प्रदान हो, मुधुया हो	सड़क	713 अंश	सड़क	286
45	44	717	रैयत	दोन	0.02	मगेया हो पिता- रमाये हो	सड़क	717 अंश	717 अंश	सड़क
46	44	97	रैयत	दोन	0.04	प्रदान हो पिता- बिमा हो	98	सड़क	97 अंश	सड़क
47	44	98	रैयत	गोडा	0.03	अज्ञात ।	102	97	98 अंश	सड़क
48		102	रैयत		0.01	अज्ञात ।	103	98	103 अंश	सड़क
49		103	रैयत		0.08	अज्ञात ।	83	102	103 अंश	सड़क
50		34	रैयत		0.13	अज्ञात ।	35	35	34 अंश	सड़क
51		33	रैयत		0.045	अज्ञात ।	32	35	33 अंश	सड़क
52		32	रैयत		0.045	अज्ञात ।	29	33	32 अंश	सड़क
53		29	रैयत		0.20	अज्ञात ।	सीमा	32	29 अंश	सड़क
Total Area-					4.185					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा- 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथानिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
प० सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त
प० सिंहभूम, चाईबासा।